दिनाक 17.10.2020
प्रेस विज्ञप्ति–17 / 20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 द्वारा जनपद के प्रत्येक थानों पर महिला हेल्प डेस्क एवं आगन्तुक कक्ष की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में दिये दिशा निर्देश

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को थानो पर आने वाले आगन्तुक/शिकायतकर्ता/पीड़ित महिलाओं की शिकायतो को सुनने हेतु एक आधुनिक केन्द्रीयकृत महिला हेल्प डेस्क एवं आगन्तुक कक्ष की स्थापना करने एवं आगन्तुक/शिकायतकर्ता/पीड़ित महिलाओं को रिसेप्शन से ही उससे सम्बन्धित सभी जानकारियां प्राप्त कर उनका निस्तारण करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये :–

- महिला हेल्प डेस्क एवं आगन्तुक कक्ष की स्थापना ।
- महिला हेल्प डेस्क एवं आगन्तुक कक्ष में नियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाय। महिला हेल्प डेस्क पर 02 व्यवहार कुशल एवं मृदुभाषी महिला आरक्षियों की नियुक्ति की जाय।
- महिला हेल्प डेस्क एवं आगन्तुक कक्ष में नियुक्त होने वाले कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाय। मेट्रोपोलिटन सेन्टर तथा बड़ो शहरों में तैनात महिला रिसेप्शन कर्मी एवं टूरिज्म पुलिस कर्मियों को अंग्रेजी भाषा का भी प्रशिक्षण दिया जाय। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ में स्थापित लैंग्वेज लैब से प्रशिक्षण कराया जाय।
- रिसेप्शन पूर्णतः कम्प्यूटराईज्ड तथा प्रशिक्षित महिला आरक्षियों द्वारा संचालित किया जाय।

- थाने पर आने वाले हर आगन्तुक/शिकायतकर्ता/पीड़ित महिलाओं को सर्वप्रथम रिसेप्शन पर नियुक्त कर्मियों द्वारा अटैन्ड किया जाय। शिकायतकर्ता के विवरण को कम्प्यूटर में फीड करते हुये उन्हें प्रार्थना पत्र की प्राप्ति रसीद दी जाये।
- रिसेप्शन द्वारा थाना प्रभारी व बीट प्रभारी को शिकायतकर्ता के बारे में अवगत कराया जाय तथा त्वरित निस्तारण किया जाय।

जनपद एटा/थाना पिलुआ

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 16.10.2020 को थाना पिलुआ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगरिया मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रमोद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जो थाना मिरहची पर पंजीकृत मु0अ0सं0–150/20 धारा 2/3 यू0पी0गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना पिलुआ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

प्रमोद निवासी परसादपुर थाना मिरहची जनपद एटा।

बरामदगी

01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

<u>जनपद बदायूं/कोतवाली वजीरगंज</u>

- **टप्पेबाजी एवं वेश बदलकर महिलाओं को ठगने वाले गिरोह के 03 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लगभग 3 लाख 60 हजार रूपये कीमत का 71.050 ग्राम सोना,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 16.10.2020 को थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त 1—अय्यूब अली 2—अजमेरी उर्फ खेरा 3—मुकेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 71.050 ग्राम सोनी (कीमत लगभग 03 लाख 60 हजार रूपये), 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है ,जो वेश बनाकर घर जाकर भीख भागते है और घर में रह रही महिलाओं को परिवारिक कष्ट दूर करने की बात तथा पैसे व जेवर को दोगुना करने का लालच देकर धोखाधड़ी कर फरार हो जाते थे। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध धोखाधड़ी व आर्म्स एक्ट आदि के जनपद बदायूं एवं एटा में कई अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अयूब अली निवासी बैहटरा थाना वजीरगंज जनपद बदायूं।
2—अजमेरी उर्फ खेरा शाह निवासी ईखू थाना फराह जनपद फिरोजाबाद।
3—मुकेश निवासी श्रीराम कालोनी मढ़ी फेस—1 थाना कोतवाली जनपद बदायूं।

<u>बरामदगी</u>

1— 03 लाख 60 हजार रूपये कीमत का 71.050 ग्राम सोना।,
2— 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस,
3— 01 मोटरसाइकिल आदि।

जनपद फतेहगढ़/कोतवाली फर्रूखाबाद

- **20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **चोरी के 1900 रूपये नगद व नशीला पदार्थ बरामद**

दिनांक 16.10.2020 की रात्रि कोतवाली फर्रूखाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त कप्तान उर्फ भीमा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 1900 रूपये नगद व 300 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का टाप टेन अपराधी हैं, जिसके विरूद्व जनपद के विभिन्न थानो में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, एन0डी0पी0एस0एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आदि के 36 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली फर्रूखाबाद में पंजीकृत मु0अ0सं0—858/20 धारा 307/504/414/ 467/468/471 भादवि व मु0अ0सं0—662/2020 धारा 457/380/411 भादवि वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना कोतवाली फर्रूखाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

कप्तान उर्फ भीमा निवासी श्यामनगर थाना कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी

1—चोरी के 1900 रूपये नगद,
2—300 ग्राम नाजायज अल्प्रोजोलम पाउडर।

जनपद श्रावस्ती/थाना गिलौला

- **15—15 हजार रू0 के पुरस्कार घोषित 02 अपराधी गिरफ्तार,**

दिनांक 16.10.2020 को थाना गिलौला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहिनीपुर पेट्रोलपम्प गिलौला के पास से दो पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1—गणेशदत्त 2—पंकज उर्फ उमादत्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो मु0अ0सं0—152/2020 धारा 3(1) यू0पी0गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु 15—15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना गिलौला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गणेश दत्त निवासी चिरैधापुर,थाना इकौना जनपद श्रावस्ती।
2—पंकज उर्फ उमादत्त निवासी चिरैधापुर थाना इकौना जनपद श्रावस्ती।

जनपद शामली/थाना झिंझाना

- **15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर , 03 जीवित, 02 कारतूस, व चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 16.10.2020 की रात्रि थाना झिंझाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर किसान विकास समिति ईट भट्ठे के पास से पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त विनोद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 4 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरूद्व जनपद के थाना झिंझाना में हत्या, हत्या के प्रयास, चोरी ,आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना झिंझाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

विनोद निवासी ग्राम हरसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी

1—04 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त
2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस।
3—चारी की 01 मोटर साइकिल।

जनपद गाजियाबाद/थाना मोदीनगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **चोरी की 07 दो पहिया वाहन, आदि बरामद**

दिनांक 17.10.2020 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1—अभिषेक उर्फ हड्डी 2—शुभम् उर्फ लम्बू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटरसाइकिल, 01 स्कूटी आदि बरामद हुये।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से वाहन चोरी करना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अभिषेक उर्फ हड्डी निवासी धारासिंह का मकान ग्राम सिकरीखुर्द थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद।

2—शुभम् उर्फ लम्बू निवासी डबल स्टोरी गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद

बरामदगी

चोरी की 07 दो पहिया वाहन आदि।

एसटीएफःअन्तर्राज्यीय स्तर के ई—मेल आई0डी0 हैक कर विभिन्न खातो में पैसा मंगाकर ठगी करने वाले गिरोह के 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांकः 16/17—10—2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 एवं स्टेट साइबर सेल, इन्दौर, मध्य प्रदेश को जनपद गोरखपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रो से अन्तर्राज्यीय स्तर के ई—मेल आई0डी0 हैक कर विभिन्न खातो में पैसा मंगाकर ठगी करने वाले गिरोह के 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1— सैयदा बेगम पत्नी अब्दुल सत्तार, नि0—21—क, कल्याणपुर कालीके पास, थाना तिवारीपुर, गोरखपुर

2— परवेज अहमद पुत्र हसन अहमद, नि0 म0न0 134, मुहल्ला निजामपुर, थाना तिवारीपुर जनपद—गोरखपुर

3— गयासुद्दीन खान उर्फ सानू पुत्र कमालुद्दीन खान, नि0—78 बी, गोसीपुरा प्राइमरी स्कूल के पास, थाना—तिवारीपुर, जनपद गोरखपुर।

4– आशीष जायसवाल पुत्र राधेश्याम जायसवाल, नि0–ग्राम–व थाना –बॉसगॉव, जनपद गोरखपुर। वर्तमान पता–म0न0 350–सी, राप्तीनगर ,थाना शाहपुर, जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

1– सैयदा बेगम–स्टेट बैक के सामने, अमरूद्व मण्डी चौराहा, थाना राजधाट, जनपद गोरखपुर। दिनांकः 16–10–2020, समय 17.00 बजे

2– परवेज अहमद– रूस्तमपुर ढाला, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर। दिनांकः 16–10–2020, समय–21.15 बजे

3– गयासुद्दीन खान उर्फ सानू–घोसीपुर प्राइमरी स्कूल के पास, थाना राजधाट, जनपद गोरखपुर। दिनांकः 16–10–2020, समय 11.30 बजे

4– आशीष जायसवाल–घोसीपुर प्राइमरी स्कूल के पास, थाना राजधाट, जनपद गोरखपुर। दिनांकः 16–10–2020, समय 11.30 बजे

बरामदगी

1– 05 अद्द आधार कार्ड, जिसमें सैयदा बेगम के दो आधार कार्ड अलग–अलग पते से है।
2– 01 अदद पैन कार्ड
3– 01 अदद ए0टी0एम0
4– 06 अद्द मोबाइल
5– रू0–7000/– नगद

दिनांक–11–08–2020 को थाना साइबर और हाइटैक अपराध, साइबल सेल, मध्य प्रदेश में मु0अ0सं0 145/2020 धारा 66सी, 66डी आई0टी0(संशोधन) एक्ट 2008 व 419/420 भादवि0 पंजीकृत हुआ था। विवेचना के उपरान्त उपरोक्त अभियुक्तगणों के नाम प्रकाश में आये थे, जिनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गोरखपुर को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में पुलिस उपाधीक्षक, श्री धर्मेश कुमार शाही के पर्यवेक्षण में श्री सत्य प्रकाश सिंह, निरीक्षक, उ0नि0 श्री आलोक कुमार राय एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गोरखपुर द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तंत्र को सक्रिय किया गया।

दिनांक 16–10–2020 को निरीक्षक साइबर सेल, इन्दौर, म0प्र0 श्री अम्बरीश मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम ने एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गोरखपुर से विकसित सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया। पूर्व में मामूरा मुखबिर ने बताया कि सैयदा बेगम, जिसके नाम का खाता है, जो स्टेट बैक के सामने अमरूद्व मण्डी चौराहा, थाना राजधाट, जनपद गोरखपुर के पास खड़ी है। महिला थाना जनपद गोरखपुर से महिला पुलिस बल एवं मुखबिर को साथ लेकर अमरूद्व मण्डी स्थित एस0बी0आई0 बैक के पास पहुॅचे। स्टेट बैंक के बाहर खड़ी महिला को देखकर मुखबीर ने बताया कि यही सैयदा बेगम है और मुखबिर चला गया। महिला पुलिस बल द्वारा सैयदा बेगम की गिरफ्तारी की गई।

पूछताछ में सैयदा बेगम ने बताया कि उसके साथी परवेज अहमद, गयासुद्दीन खान उर्फ सानू, आशीष जायसवाल के गिरोह के सदस्य है तथा इन लोगों का मुखिया गयासुद्दीन खान उर्फ सानू एवं आशीष जायसवाल है। तत्पश्चात सैयदा बेगम की निशानदेही पर परवेज अहमद को रूस्तमपुर ढाले के पास से की गिरफ्तारी की गयी एवं परवेज अहमद की निशानदेही पर गयासुद्दीन खान उर्फ सानू व आशीष जायसवाल को घोसीपुर प्राइमरी स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तणों से पुछताछ में बताया कि इन लोगों का एक गिरोह है। गिरोह की सदस्य सैयदा बेगम के आधार कार्ड में बार—बार पता बदलकर विभिन्न बैकों में खाता खुलवाते हैं तथा खाता खुलवाने के बाद खाते का ए0टी0एम0, पासबुक, चेकबुक परवेज अहमद, गयासुद्दीन खान उर्फ सानू, आशीष जायसवाल अपने पास रख लेते हैं। जब खाते में फ्राड का पैसा आता है तो गयासुददीन द्वारा एटीएम से पैसा निकाला जाता है तथा आशीष द्वारा अलग—अलग खातों में आन लाइन पैसा ट्रान्सफर किया जाता है। अगर किसी बैंक खाते में पैसों का ट्रान्जेकशन करने में कोई समस्या आती है तो सैयदा बेगम व परवेज पति—पत्नी बनकर बैंक में जाकर पता करते हैं और चेकबुक या पासबुक से पैसा निकाल लेते हैं। निकाले गये पैसों का पहले से तय प्रतिशत के हिसाब से बंटवारा कर लेते हैं। थाना साइबर और हाइटैक अपराध साइबल सेल, मध्यप्रदेश में मु0अ0सं0 145/2020 धारा 66 सी, 66 डी आई0टी0(संशोधन) ऐक्ट 2008 व 419/420 भादवि0 पंजीकृत के सम्बन्ध में पुछने पर बताया कि आशीष के साथी अकरम और प्रतीक, जो दिल्ली में रहते हैं और इन्दौर आते जाते रहते हैं, इन्ही लोगों ने ई—मेल आई0डी0 की फिशिंग करके फर्जी मेलकर पैसा मंगावाया गया था। अकरम के बताने पर कि पैसा आ गया है, निकाल लो, इस पर गयासुद्दीन द्वारा दो बार एटीएम0 से 80 हजार रूपये व आशीष द्वारा दो लाख रूपये का आईएमपीएस0 मनोज नाम के व्यक्ति के खाते में किया गया।

अभियुक्ता सैयदा बेगम नि0 उपरोक्त को महिला थाना, जनपद गोरखपुर एवं शेष तीनों अभियुक्तगण को थाना तिवारीपुर, जनपद गोरखपुर में दाखिल कर ट्रान्जिट रिमाण्ड एंव अग्रेतर कार्यवाही निरीक्षक साइबर सेल इन्दौर, म0प्र0 द्वारा की जा रही है।

——————